(185)

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर ।

अधिसूचना

सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य,उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce Production, Supply and Distribution Act 2003 (COTPA-2003) को देवघर जिला में प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या 16/NTPC/13 राँची दिनांक 09.05.2013 के आलोक में उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, देवघर की अध्यक्षता में **जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति** District Tobacco Control Coordination Committee (DTCCC) का गठन इस कार्यालय के पत्रांक 14 (NCD) देवघर , दिनांकः– 11/02/20 द्वारा किया जाता है। निम्न पदाधिकारियों को जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति के सदस्यों के रूप में नामित किया जाता है।

1.	उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, देवघर	:	अध्यक्ष
2.	जिला पुलिस अधीक्षक, देवघर	:	सदस्य
3.	उप–विकास आयुक्त, देवघर	:	सदस्य
4.	असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चि0 पदा0, देवघर	:	सदस्य सचिव
5.	अपर समाहर्त्ता–सह–विशेष नोडल पदा0,तंबाकू नियंत्रण देवघर :	:	सदस्य–सह–मुख्य समन्वयक
6.	जिला नोडल पदा0, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, देवघर	:	सदस्य–सह–समन्वयक
7.	उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, देवघर	:	सदस्य
8.	अपर मुख्य चिकित्सा पदा0, देवघर	:	सदस्य
9.	जिला शिक्षा पदाधिकारी, देवघर	:	सदस्य
10.	जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर	:	सदस्य
11.	जिला जन सुचना पदाधिकारी, देवघर	:	सदस्य
12.	जिला परिवहन पदाधिकारी, देवघर	:	सदस्य
13.	जिला कृषि पदाधिकारी, देवघर	:	सदस्य
14.	जिला खाद्य सुरक्षा पदा0 देवघर	:	सदस्य
15.	औषधि निरीक्षक, देवघर	:	सदस्य
16.	जिला परामर्शी, NTCP / राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम	:	सदस्य
17.	अध्यक्ष, आई0एम0ए0, देवघर	:	सदस्य
18.	सचिव, भारतीय रेडक्रॉस समिति, देवघर	:	सदस्य
19.	प्राचार्य, देवघर कॉलेज, देवघर	:	सदस्य

नव गठित जिला स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति में विभिन्न विभागों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के निम्नांकित सदस्य होंगे।

1.	उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, देवघर	:	अध्यक्ष
2.	पुलिस अधीक्षक, देवघर	:	सदस्य
3.	उप विकास आयुक्त, देवघर	:	सदस्य
4.	असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चि0 पदा0, देवघर	:	सदस्य सचिव
5.	अपर समाहर्त्ता–सह–विशेष नोडल पदा0,तंबाकू नियंत्रण देवघर	:	सदस्य–सह–मुख्य समन्वयक
6.	अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर	:	सदस्य
7.	नगर आयुक्त, देवघर नगर निगम	:	सदस्य
8.	जिला नोडल पदा0, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, देवघर	:	सदस्य–सह–समन्वयक
9.	पुलिस उपाधीक्षक, देवघर (मुख्यालय)	:	सदस्य
10.	उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, देवघर	:	सदस्य
11.	अपर मुख्य चिकित्सा पदा0, देवघर	:	सदस्य
12.	जिला शिक्षा पदाधिकारी, देवघर	:	सदस्य
13.	जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर	:	सदस्य
14.	जिला जन सुचना पदाधिकारी, देवघर	:	सदस्य
15.	जिला परिवहन पदाधिकारी, देवघर	:	सदस्य
16.	जिला कृषि पदाधिकारी, देवघर	:	सदस्य
17.	जिला खाद्य सुरक्षा पदा0 देवघर	:	सदस्य
18.	औषधि निरीक्षक, देवघर	:	सदस्य

Scanned by CamScanner

19. अध्यक्ष, आई०एम०ए०, देवघर : सदस्य
20. सचिव, भारतीय रेडक्रॉस समिति, देवघर : सदस्य
21. प्राचार्य, देवघर कॉलेज, देवघर : सदस्य
22. प्रतिनिधि, सोशियो इकानोमिक एण्ड ऐजुकेशनल डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स) : सदस्य

उक्त समिति तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करेगी जो निम्नलिखित हैं:–

- COTPA -2003 को पूरे देवघर जिले में प्रभावी रूप से लागू करवाने, चालान (दण्ड) व्यवस्था शुरू करने तथा मुल्यांकन तथा अनुश्रवण में सहयोग करना।
- तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित कार्यों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हो ताकि केन्द्र सरकार के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित शिक्षण हो पाये।
- देवघर जिले/प्रखण्डों की अनुश्रवण/रहनुमाई समिति का गठन तथा उसकी बैठक नियमित रूप से त्रैमासिक अंतराल पर आयोजित किया जाना है।
- यह सुनिश्चित शिक्षण करना कि अधिकृत अधिकारी अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से अनुपालन कर रहें हैं तथा उनके द्वारा तम्बाकू नियंत्रण से संबंधित कितने मामले में फैसला लिया गया है।
- तंबाकू नियंत्रण से संबंधित मामले पर निर्णय लेना तथा प्रखण्ड स्तरीय समिति को सुझाव एवं मार्गदर्शन देना।
- भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 4,5,6 एवं 7 के उल्लंघन के विशिष्ट मामलों में कार्रवाई करना तथा राज्य/जिला स्तरीय समिति को सूचित करना।
- DTCCC की त्रैमासिक मनोनीत सदस्यों की बैठक सुनिश्चित शिक्षण करना।
- तम्बाकू और संबंद्ध उत्पादों के प्रत्यक्ष,अप्रत्यक्ष @surrogate विज्ञापन के बारे में शिकायत दर्ज कराने हेतु आम जनता को अवसर प्रदान करना तथा प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित शिक्षण करना।

ह0/11/02/2021
उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, देवघर ।

ज्ञापांक 14 (NCD) / **देवघर** **दिनांक** 11/02/2021

प्रतिलिपि : जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, देवघर/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, देवघर/ /सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवघर जिलान्तर्गत/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, देवघर जिला अर्न्तगत/उपाधीक्षक सदर अस्पताल, देवघर/पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), देवघर/जिला शिक्षा पदाधिकारी, देवघर/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, देवघर/सभी कार्यालय प्रधान, देवघर जिलान्तर्गत/ सभी नामित सदस्य, जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, देवघर /श्रम अधीक्षक, देवघर/ जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, देवघर/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला देवघर/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, देवघर/उप–विकास आयुक्त, देवघर/पुलिस अधीक्षक, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, सोशियो इकोनॉमिक एन्ड एजुकेशनल डेवलॉपमेंट सोसाईटी (सीड्स) को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, एन०सी०डी० सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा० चि० शि० एवं प० क० विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 11/02/2021
उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, देवघर ।

Scanned by CamScanner

उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी, का कार्यालय, देवघर

आदेश

सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिशेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम (COTPA-2003) के प्रभावकारी अनुपालन के लिए अपर समाहर्त्ता (विधि व्यवस्था), को कोटपा 2003 के प्रभावकारी अनुपालन हेतु विशेष नोडल पदाधिकारी (तम्बाकू नियंत्रण) नामित किया जाता है। विशेष नोडल पदाधिकारी जिले के अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम का प्रभावकारी अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करेगें।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

24/12/18
उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, देवघर।

ज्ञापांक 1064(N) दिनांक 28.12.18

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड सरकार, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी **NTCP**, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः वरीय पुलिस अधीक्षक, .देवघर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः पुलिस अधीक्षक रेल सहित, देवघर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षको को इस आशय की सूचना देगें।
प्रतिलिपिः अपर समाहर्ता (विधि व्यवस्था)–सह–विशेष नोडल पदाधिकारी तम्बाकू नियंत्रण देवघर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः आरक्षी उपाधीक्षक, देवघर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला खाद्य सुरक्षा/पदाधिकारी जिला औषधि निरीक्षक/जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला श्रम अधीक्षक/जिला सूचना जनसम्पर्क पदाधिकारी/जिला वाणिज्य कर पदाधिकारी /जिला नोडल पदाधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः सभी नामित सदस्यों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, देवघर सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

24/12/18
उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, देवघर।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर ।

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 10.02.2021 को जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, देवघर एवं सोषियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेषन डेवलॉपमेंट सोसाईटी (सीड्स) के संयुक्त तत्वावधान में जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम **COTPA-2003** के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ **जिला स्तरीय छापामार दस्ते** का गठन किया जाता है। यह दस्ता सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर **उल्लंघनकर्त्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना (रूपये 200/– तक)** की कार्यवाही सुनिश्चित शिक्षण करेंगी।

जिला स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगेः–

1. अपर समाहर्त्ता–सह–विशेष नोडल पदा0,तंबाकू नियंत्रण	–	अध्यक्ष
2. पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय)	–	सदस्य
3. जिला परिवहन पदाधिकारी	–	सदस्य
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी	–	सदस्य
5. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	–	सदस्य
6. जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी	–	सदस्य
7. औषधि निरीक्षक	–	सदस्य
8. जिला कार्यक्रम प्रबंधक (जिला स्वास्थ्य समिति)	–	सदस्य
9. श्रम अधीक्षक	–	सदस्य
10. संबंधित थानाध्यक्ष	–	सदस्य
11. जिला नोडल पदाधिकारी (तम्बाकू नियंत्रण)	–	समन्वयक

जिला नोडल पदाधिकारी तम्बाकू नियंत्रण **इस छापामार दस्ते के साथ समन्वय स्थापित कर सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रक्रिया को क्रियान्वित करेंगे**। साथ ही प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करना सुनिश्चित शिक्षण करेंगे।

11/02/2021

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, देवघर ।

ज्ञापांक 16 (NCD) **/ देवघर** **दिनांक** 11/02/2021

प्रतिलिपि : जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, देवघर/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, देवघर/ /सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवघर जिलान्तर्गत/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, देवघर जिला अर्न्तगत/उपाधीक्षक सदर अस्पताल, देवघर/पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), देवघर/जिला शिक्षा पदाधिकारी, देवघर/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, देवघर/सभी कार्यालय प्रधान, देवघर जिलान्तर्गत/ सभी नामित सदस्य, जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, देवघर /श्रम अधीक्षक, देवघर/ जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, देवघर/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला देवघर/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, देवघर/उप–विकास आयुक्त, देवघर/पुलिस अधीक्षक, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, सोशियो इकोनॉमिक एन्ड एजुकेशनल डेवलॉपमेंट सोसाईटी (सीड्स) को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

जिन्दगी चुनें तम्बाकू नहीं

Scanned by CamScanner

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

11/05/25

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, देवघर ।

Scanned by CamScanner

(187)

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर ।

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 10.02.2021 को जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, देवघर एवं सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलॉपमेंट सोसाईटी (सीड्स) के संयुक्त तत्वावधान में जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम **COTPA-2003** के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ **अनुमंडल स्तरीय छापामार दस्ते** का गठन किया जाता है। यह दस्ता सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर **उल्लंघनकर्त्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना (रूपये 200/– तक)** की कार्यवाही सुनिश्चित शिक्षण करेंगी।

अनुमंडल स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे :–

1.	अनुमंडल पदाधिकारी	–	अध्यक्ष
2.	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी	–	सदस्य
3.	कार्यपालक दण्डाधिकारी	–	सदस्य
4.	अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी	–	सदस्य
5.	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडल मुख्यालय	–	सदस्य
6.	अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी	–	सदस्य
7.	संबंधित थानाध्यक्ष	–	सदस्य

संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी अपने अपने कार्यक्षेत्र में **उक्त छापामार दस्ते के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रक्रिया को क्रियान्वित कराते हुए प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित शिक्षण करेंगे**। इस काम में अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल स्तरीय अन्य पदाधिकारियों की भी सेवायें लें सकेंगे।

[signature] 11/02/2021

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, देवघर ।

ज्ञापांक 15(NCD) / **देवघर** **दिनांक** 11/02/2021

प्रतिलिपि : जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, देवघर/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, देवघर/ /सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवघर जिलान्तर्गत/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, देवघर जिला अर्न्तगत/उपाधीक्षक सदर अस्पताल, देवघर/पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), देवघर/जिला शिक्षा पदाधिकारी, देवघर/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, देवघर/सभी कार्यालय प्रधान, देवघर जिलान्र्तगत/ सभी नामित सदस्य, जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, देवघर /श्रम अधीक्षक, देवघर/ जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, देवघर/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला देवघर/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, देवघर/उप–विकास आयुक्त, देवघर/पुलिस अधीक्षक, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, सोशियो इकोनॉमिक एन्ड एजुकेशनल डेवलॉपमेंट सोसाईटी (सीड्स) को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

जिन्दगी चुनें तम्बाकू नहीं

Scanned by CamScanner

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, देवघर ।

Scanned by CamScanner

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर ।

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 10.02.2021 को जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, देवघर एवं सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलॉपमेंट सोसाईटी (सीड्स) के संयुक्त तत्वावधान में जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम **COTPA-2003** के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ **प्रखंड स्तरीय छापामार दस्ते** का गठन किया जाता है। यह दस्ता सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर **उल्लंघनकर्त्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना (रूपये 200/– तक)** की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

प्रखंड स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे :–

1.	प्रखंड विकास पदाधिकारी	–	अध्यक्ष
2.	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	–	सन्वयक सदस्य
3.	प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी	–	सदस्य
4.	प्रखंड कृषि पदाधिकारी	–	सदस्य
5.	श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	–	सदस्य
6.	प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक	–	सदस्य
7.	संबंधित थानाध्यक्ष	–	सदस्य

संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने अपने कार्यक्षेत्र में **इस छापामार दस्ते के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रक्रिया को क्रियान्वित कराते हुए प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करना सुनिश्चित शिक्षण करेंगे।** वे आवश्यकतानुसार अंचलाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को भी अध्यक्ष के रूप में प्रतिनियुक्त कर सकेंगे। साथ ही उनके द्वारा प्रखंड स्तरीय अन्य पदाधिकारियों की भी सेवायें ली जा सकेंगी।

11/04/21

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, देवघर ।

ज्ञापांक 17(NCD) **/ देवघर** **दिनांक** 11/02/2021

प्रतिलिपि : जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, देवघर/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, देवघर/ /सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवघर जिलान्तर्गत/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, देवघर जिला अर्न्तगत/उपाधीक्षक सदर अस्पताल, देवघर/पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), देवघर/जिला शिक्षा पदाधिकारी, देवघर/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, देवघर/सभी कार्यालय प्रधान, देवघर जिलार्न्तगत/ सभी नामित सदस्य, जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, देवघर /श्रम अधीक्षक, देवघर/ जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, देवघर/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला देवघर/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, देवघर/उप–विकास आयुक्त, देवघर/पुलिस अधीक्षक, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, सोशियो इकोनॉमिक एन्ड एजुकेशनल डेवलॉपमेंट सोसाईटी (सीड्स) को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

जिन्दगी चुनें तम्बाकू नहीं

Scanned by CamScanner

190

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा० चि० शि० एवं प० क० विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

11/02/24

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, देवघर ।

Scanned by CamScanner

उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी, का कार्यालय, देवघर

आदेश

सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और ग का विनियमन) अधिनियम (COTPA-2003) की धारा 4 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान प्रतिबंधीत से– लोक वाहन, बस स्टैंड, रेल प्रतीक्षालय, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, कारागार, मनोरंजन केन्द्र/डांस स्थल, पुस्तकालय, शॉपिंग मॉल, कॉफी हाउस, पब, क्लब, न्यायालय परिसर, सभाकक्ष, प्रतीक्षालय, टी स्टॉल, मिष्ठान भंडार, ढाबा, सभी सरकारी/ गैर सरकारी कार्यालय, बैंक परिसर, बैंक के ATM, सभी सरकारी/ गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान, सभी पर्यटन स्थल, सभी सरकारी/गैर सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र/ अस्पातल भवन, सिनेमा हॉल, होटल/रेस्टोरेन्ट, बार, कैंटीन, पंचायत भवन, धार्मिल स्थल, हवाई अड्डा प्रतीक्षालय आदि संबंधित स्थल सार्वजनिक स्थल की परिभाषा के दायरे में आते है।

सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान, सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिशेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम COTPA-2003) की धारा 21 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। उल्लंघनकर्त्ता को रूपये 200/– तक जुर्माना किया जा सकता है। सार्वजनिक स्थल के मालिक, प्रापराईटर, प्रबंधक, पर्यवेक्षक या मामलों का प्रभारी अपने स्तर से सार्वजनिक स्थाल के प्रवेश द्वार पर, यदि एक से ज्यादा प्रवेश द्वार हैं तो ऐसे प्रत्येक प्रवेश द्वार पर और उनके अन्दर सुस्पष्ट स्थान/स्थानों पर नीचे दर्शाये गये बोर्ड के प्रारूप एवं मापदण्ड के अनुसार गैर धूम्रपान क्षेत्र वाले बोर्ड का प्रदर्शन किया जाना सुनिश्चित करेंगे। बोर्ड के नीचे किसी प्रकार का विज्ञापन अथवा संस्था का नाम अंकित नहीं किया जा सकता है। विज्ञापन अथवा संस्था का नाम अंकित वाले बोर्ड/किसी अन्य माध्यम से प्रर्दशित किए गए (गैर धुम्रपान क्षेत्र) अधिनियम का उल्लंघन माना जाऐगा एवं नियमानुसार कारवाई की जायेगी।

अथवा

सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम–2003 (COTPA, 2003) की धारा–4 के लिए अधिकृत पदाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 की धारा (4) का प्रभावकारी अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। यदि सार्वजनिक स्थान का मालिक/प्रोपराईटर/प्रबंधक/पर्यवेक्षक या प्राधिकृत अधिकारी ऐसा उल्लंघन सूचित करने पर कार्यवाई करने पर असफल रहते हैं तो मालिक/प्रोपराईटर/प्रबंधक/पर्यवेक्षक या प्राधिकृत अधिकारी व्यक्तिगत अपराधों की संख्या के समतुल्य जुर्माना अदा करने का जिम्मेदार होगा। यह आदेश जिला अन्तर्गत सभी सार्वजनिक स्थल/विभाग पर लागु होंगे। अतः किसी अन्य विभाग द्वारा अलग से आदेश/समानान्तर आदेश जारी नहीं किए जाऐंगे।

यह आदेश तत्तकाल प्रभाव से लागू होगा।

24/12/18

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, देवघर।

ज्ञापांक 1067(N) दिनांक 28-12-19.

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड सरकार, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी NTCP, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः वरीय पुलिस अधीक्षक, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः पुलिस अधीक्षक रेल सहित, देवघर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षको को इस आशय की सूचना देगें।
प्रतिलिपिः अपर समाहर्ता (विधि व्यवस्था)–सह–विशेष नोडल पदाधिकारी तम्बाकू नियंत्रण देवघर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः आरक्षी उपाधीक्षक, देवघर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला खाद्य सुरक्षा/पदाधिकारी जिला औषधि निरीक्षक/जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला श्रम अधीक्षक/जिला सूचना जनसम्पर्क पदाधिकारी/जिला वाणिज्य कर पदाधिकारी /जिला नोडल पदाधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण, देवघर . को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः सभी नामित सदस्यों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, देवघर . सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को निदेशित किया जाता है कि इस आदेश को जिला स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चत करेंगे।

प्रतिलिपिः प्रशासक, देवघर नगर निगम, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेशित।

24/12/18

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष

जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, देवघर।

उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी, का कार्यालय, देवघर

आदेश

सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिशेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003, के धारा 5 के आलोक में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद के विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध है।

COTPA, 2005 की धारा–5 का उल्लघनं COTPA, 2003 की धारा 22 के अन्तर्गत दण्डणीय अपराध है।

- धारा–5 के उल्लंघन होने पर प्रथम दोष सिद्धि की दशा में, दो वर्ष तक का कारावास / एक हजार रूपए तक का जुर्माना अथवा दोनों एवं द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोष सिद्धि की दशा में पाँच वर्ष तक का कारावास / पाँच हजार रूप्ए तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है।
- तम्बाकू उत्पाद बिक्री से संबंधित एंजेंसियाँ / संस्थानों / खुदरा विक्रेता आदि यदि किसी भी प्रकार / माध्यम से तम्बाकू उत्पाद / उत्पादों का प्रचार–प्रसार कर रहें है तो, इस प्रकार के विज्ञापन / विज्ञापनों को अविलम्ब हटाया जाना सुनिश्चित करेंगे। उल्लंघनकर्त्ताओं पर विधि संगत कारवाई की जा सकती है।

यह आदेश तत्काल प्रभााव से लागू होगा।

24/12/18

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, देवघर।

ज्ञापांक 1065(N) दिनांक 28.12.2018

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड सरकार, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी NTCP, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः वरीय पुलिस अधीक्षक, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः पुलिस अधीक्षक रेल सहित, देवघर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षको को इस आशय की सूचना देगें।
प्रतिलिपिः अपर समाहर्ता (विधि व्यवस्था)–सह–विशेष नोडल पदाधिकारी तम्बाकू नियंत्रण, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः आरक्षी उपाधीक्षक, देवघर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः जिला परिवहन पदाधिकारी / जिला खाद्य सुरक्षा / पदाधिकारी जिला औषधि निरीक्षक / जिला शिक्षा पदाधिकारी / जिला श्रम अधीक्षक / जिला सूचना जनसम्पर्क पदाधिकारी / जिला वाणिज्य कर पदाधिकारी / जिला नोडल पदाधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः सभी नामित सदस्यों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, देवघर सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को निदेशित किया जाता है कि इस आदेश को जिला स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चत करेंगे।
प्रतिलिपि : देवघर जिला के सभी संबंधित एजेंसियों / संस्थाओं / तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दूकानदारों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपिः प्रशासक, देवघर नगर निगम, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेशित।

24/12/18

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, देवघर।

उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी, का कार्यालय, देवघर

आदेश

सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिशेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम COTPA-2003 की धारा 6(a) के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तम्बाकू उत्पाद बेचना या उनके द्वारा तम्बाकू उत्पाद की बिक्री करवाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, (COTPA-2003) की धारा 6(a) के आलोक में सभी तम्बाकू उत्पाद की दुकानों पर नीचे दर्शाये गये प्रारूप एवं मापदण्ड के अनुरूप बोर्ड लगाना अनिवार्य है। बोर्ड के नीचे किसी प्रकार का विज्ञापन अथवा संस्था का नाम अंकित नहीं किया जा सकता है। विज्ञापन अथवा संस्था का नाम अंकित वाले बोर्ड अधिनियम का उल्लंघन माना जाऐगा एवं नियमानुसार कारवाई की जायेगी।

फलैक्स/बोर्ड का प्रारूप निम्न है:-

जिला के सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाल दुकानदारों, थोक विक्रेताओं आदि को निर्देशित किया जाता है कि अपने-अपने दुकान/बिक्री स्थल पर यह फलैक्स/बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेंगें। COTPA, 2003 की धारा 6 (a) का उल्लंधन COTPA, 2003 की धारा 24 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। उल्लंघनकर्त्ता को रूपये 200/- तक जुर्माना किया जा सकता है। यह आदेश जिला अन्तर्गत सभी तम्बाकू विक्रेता पर लागु होंगे। अतः किसी अन्य विभाग/नगर निगम/नगर परिषद् द्वारा अलग से आदेश/समानान्तर आदेश जारी नहीं किए जाएंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

24/12/18

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, देवघर।

ज्ञापांक 1066(N) दिनांक 28.12.19

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड सरकार, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, स्वा० चि० शि० एवं प० क० विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी **NTCP,** झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः वरीय पुलिस अधीक्षक, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः पुलिस अधीक्षक रेल सहित, देवघर . को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षको को इस आशय की सूचना देगें।

प्रतिलिपिः अपर समाहर्ता (विधि व्यवस्था)–सह–विशेष नोडल पदाधिकारी तम्बाकू नियंत्रण देवघर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः आरक्षी उपाधीक्षक, देवघर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः जिला परिवहन पदाधिकारी / जिला खाद्य सुरक्षा / पदाधिकारी जिला औषधि निरीक्षक / जिला शिक्षा पदाधिकारी / जिला श्रम अधीक्षक / जिला सूचना जनसम्पर्क पदाधिकारी / जिला वाणिज्य कर पदाधिकारी / जिला नोडल पदाधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः सभी नामित सदस्यों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, देवघर सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को निदेशित किया जाता है कि इस आदेश को जिला स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चत करेंगे।

प्रतिलिपि : देवघर जिला के सभी संबंधित एजेंसियों / संस्थाओं / तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दूकानदारों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः प्रशासक, देवघर नगर निगम, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेशित।

24/12/18

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष

जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, देवघर।

उपायुक्त का कार्यालय (गोपनीय शाखा), देवघर ।

आदेश

धुम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (6बी0) के अनुसार सभी शिक्षण संस्थानों को तम्बाकु मुक्त बनाने के लिए शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद को बेचने वालों पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही विद्यालय के मुख्य द्वार पर तम्बाकु के दुष्प्रभाव से संबंधित पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स लगाने एवं दिवार लेखन का निदेश दिया जाता है। जिस का प्रारूप निम्न प्रकार से है :–

60cmx 60 cm (*15cm+30cm+15cm*)

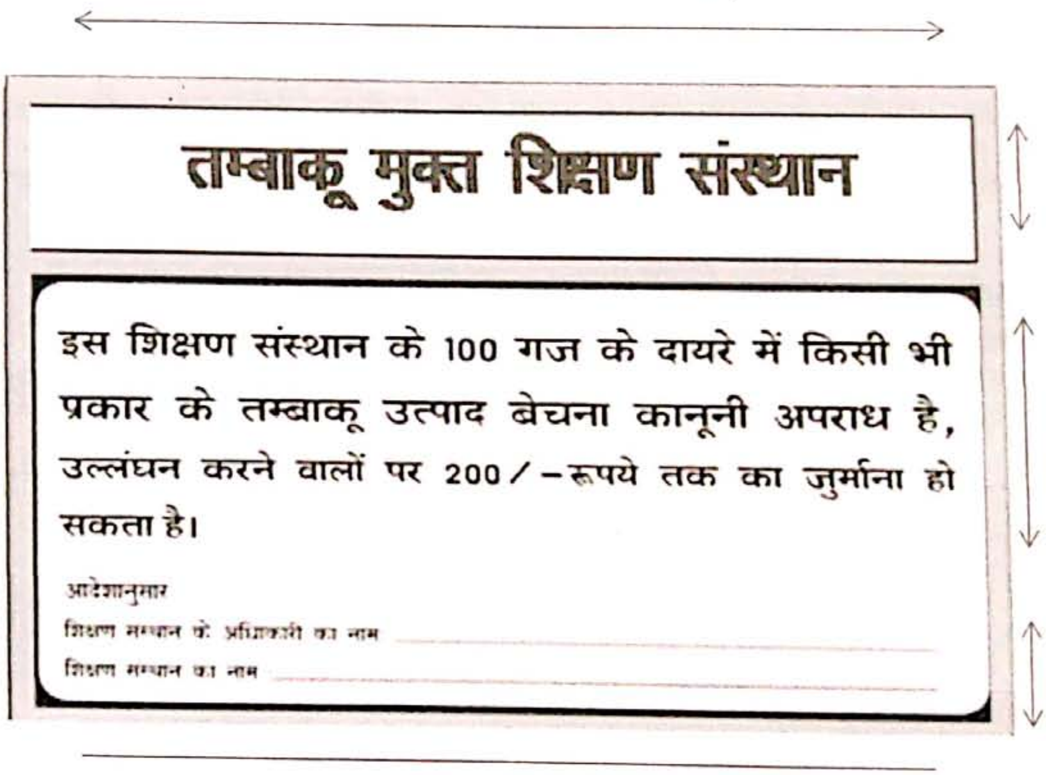

जिला के सभी सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के प्रधानाध्यापकों को निदेशित किया जाता है कि अपने–अपने शिक्षण संस्थान में उपरोक्त प्रारूप का दिवार लेखन एवं **100 गज के दायरें में किसी भी प्रकार का तम्बाकु उत्पाद की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें**। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं चालान के द्वारा अधिकतम 200 रू0 तक दंड का प्रावधान है। साथ में इसकी सूचना प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित शिक्षण करें।

जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि आम जन के बीच तम्बाकू के दूष्परिणामों के बारें में जागरूक करने के उद्देश्य से सभी सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों में तम्बाकु नियंत्रण पर प्रभात–फेरी के

Scanned by CamScanner

ध्यम से जागरूकता अभियान चलाना सुनिश्चित शिक्षण करें। साथ ही प्रत्येक महीने के समीक्षात्मक बैठक में इस तम्बाकू नियंत्रण के तहत की गयी कार्रवाई की समीक्षा करना सुनिश्चित शिक्षण करें।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

ह0/11/02/2021

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, देवघर ।

ज्ञापांक 13 (NCD) / देवघर दिनांक 11/02/2021

प्रतिलिपि : जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, देवघर/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, देवघर/ /सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवघर जिलान्तर्गत/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, देवघर जिला अर्न्तगत/उपाधीक्षक सदर अस्पताल, देवघर/पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), देवघर/जिला शिक्षा पदाधिकारी, देवघर/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, देवघर/सभी कार्यालय प्रधान, देवघर जिलार्न्तगत/ सभी नामित सदस्य, जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, देवघर /श्रम अधीक्षक, देवघर/ जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, देवघर/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला देवघर/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, देवघर/उप–विकास आयुक्त, देवघर/पुलिस अधीक्षक, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, सोशियो इकोनॉमिक एन्ड एजुकेशनल डेवलॉपमेंट सोसाईटी (सीड्स) को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/11/02/2021

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, देवघर ।

Scanned by CamScanner